संख्या–418 /XVI/08/7(24)/08

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 21 अप्रैल,2008

विषयः–वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सैक्टर की योजनाओं के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–785/1–1(102)/2008–09,दिनांक–27मार्च,2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सैक्टर की चालू योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्राविधानित रू0–29,36,64.00हजार(रू0उनतीस करोड़ छत्तीस लाख चौसठ हजार मात्र) की बजट व्यवस्था के सापेक्ष **रू0–15,32,80.00हजार (रू0पन्द्रह करोड़ बत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि **संलग्न विवरणानुसार** व्यय हेतु आपके निर्वतन/आवंटन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

2– धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किश्तों के रूप में किया जायेगी।

3– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखन्ड शासन के शासनादेश संख्या–267/XXVII(1)/2008,दिनांक–27 मार्च, 2008 **(छाया प्रति संलग्न)** में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिध्यादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

6– चालू/नये निर्माण कार्यो की दशा में प्रत्येक के आगणन/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ही धनराशि आहरित/व्यय की जायेगी। नये कार्य किये जाने से पूर्व चालू निर्माणाधीन योजनाओं को निर्धारित समय/लागत में पूर्ण करने की दृष्टि से उनकी निर्माण की प्रगति अनुसार धनावंटन किया जायेगा,ताकि निर्मित्त परिसम्पत्ति का उपयोग समय से हो सकें।

7– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

8– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

9– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

..2/–

10– योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

11– लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर ही आगणन गठित करके कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

12– आय–व्ययक में जिन योजनाओं के लिए 24–वृहत् निर्माण कार्य मद में बजट व्यवस्था प्राविधानित है, उन योजनाओं के अन्तर्गत योजना के दिशा–निर्देशानुसार वृहत् निर्माण कार्य कराये जाने के लिए शासन द्वारा अधिकृत कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर औचित्यपूर्ण आगणन गठित कराते हुए स्वीकृति हेतु तात्कालिकता से शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे,तथा शासन स्तर से स्वीकृत/अनुमोदित आगणनों की सीमा के अन्तर्गत ही इन योजनाओं के 24–वृहत् निर्माण मद में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष व्यय की कार्यवाही की जायेगी। शासन के पूर्वानुमोदन के बिना इस मद में स्वीकृत धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा।

13– जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान,गोपेश्वर तथा उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड से सम्बन्धित व्ययों के वहन हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित बजट व्यवस्था की स्वीकृति पृथक से निर्गत की जायेगी।

14– उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय,ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

15– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

16– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–09(P)/XXVII-4/2008,दिनांक–21 अप्रैल, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या– 418 /XVI/08/7(24)/08,तददिनांक: 21-4-08

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर (चमोली)।
5– निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग,उत्तराखण्ड।
7– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या– 418 /XVI/08/7(24)/08, दिनांक–21 अप्रैल,2008 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सैक्टर की चालू योजनाओं के कियान्वयन हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का विवरणः–

(धनराशि हजार रूपयें में)

क्र0 सं0	योजना का नाम/मद	आय–व्ययक प्राविधान	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	5
	अनुदान सं0–29 लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00– आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–		
1–	0109– राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एपीडा द्वारा वित्त पोषित योजनाओं पर 20% राज्यांश		
	50–उपादान	40000	40000
	योग– 0109	**40000**	**40000**
2–	0113–बाजार हस्तक्षेप योजना का कियान्वयन		
	50–उपादान	500	500
	योग–0113	**500**	**500**
3–	03–औद्यानिक विकास–01–अधिष्ठान		
	02– मजदूरी	36	36
	08–कार्यालय व्यय	517	517
	09– विद्युत देय	45	45
	10–जलकर जल प्रभार	2	2
	11–लेखन सामग्री और फार्मों का छपाई	240	240
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	58	58
	13–टेलीफोन पर व्यय	147	147
	14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का क्रय	1	-
	15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	200	200
	16–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	100	100
	18–प्रकाशन	161	161
	19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	5	5
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता	504	504
	24– वृहत निर्माण कार्य	20000	20000
	25–लघु निमार्ण कार्य	390	390
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	165	165
	29–अनुरक्षण	90	90
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	3666	3666
	42–अन्य व्यय	264	264
	44–प्रशिक्षण व्यय	500	500

–2/–

	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	535	535
	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	220	220
	योग– 0301	**27846**	**27845**
4–	0303– सतार्इस राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण		
	02– मजदूरी	5615	5615
	08–कार्यालय व्यय	213	213
	09– विद्युत देय	170	170
	10–जलकर एंव जल प्रभार	24	24
	11–लेखन सामग्री और फार्मों का छपाई	106	106
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	145	145
	15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	300	300
	18–प्रकाशन	49	49
	19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10	10
	24–वृहत् निर्माण कार्य	14017	14017
	25–लघु निर्माण कार्य	310	310
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	100	100
	29–अनुरक्षण	417	417
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	5870	5870
	42–अन्य व्यय	745	745
	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	30	30
	योग–0303	**28121**	**28121**
5–	0307– उत्तर फसल प्रबन्धन		
	20–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राजसहायता	5000	5000
	24–वृहत् निर्माण	4750	-
	25–लघु निर्माण	250	250
	योग–0307	**10000**	**5250**
6–	0308– कृषि निर्यात विकास इकाई को अनुदान		
	20–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राजसहायता	1000	-
	योग:– 0308	**1000**	-
7–	0310–सेन्टर आफ एक्सीलेन्स की स्थापना		
	24–वृहत् निर्माण कार्य	15000	-
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	4000	-
	42–अन्य व्यय	1000	-
	योग–0310–	**20000**	-
8–	06– चाय विकास की योजना		
	02–राज्य में चाय विकास की योजना		
	20–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राजसहायता	61958	-
	योग– 0602	**61958**	-
9–	08–सघन पौध रोपण हेतु फल पौध सामग्री का आयात		
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	18000	18000
	42–अन्य व्यय	2000	2000
	योग–08	**20000**	**20000**

..3/-

10–	09– जडी बूटी शोध संस्थान को अनुदान		
	20–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राजसहायता	52675	-
	योग–09	**52675**	-
11–	10– मधुमक्खी पालन की योजना		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता	1745	1745
	21–छात्रवृत्तियाँ/छात्रवेतन	227	227
	42–अन्य व्यय	150	150
	44–प्रशिक्षण व्यय	200	200
	योग–10	**2322**	**2322**
12–	12– उत्तरांचल खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना संगोष्ठी		
	08–कार्यालय व्यय	650	650
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	650	650
	24–वृहत् निर्माण कार्य	4000	4000
	25–लघु निर्माण कार्य	500	500
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1500	1500
	42–अन्य व्यय	500	500
	44–प्रशिक्षण व्यय	1000	1000
	योग–12	**8800**	**8800**
13–	13–मशरूम उत्पादन एवं विपणन योजना		
	02–मजदूरी	200	200
	08–कार्यालय व्यय	100	100
	09–विद्युत देय	100	100
	10–जलकर/जलप्रभार	100	100
	11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50	50
	15–गाडियों का अनुरक्षण ओर पैट्रोल आदि की खरीद	150	150
	17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	2	2
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	600	600
	21–छात्रवृत्तियाँ/छात्रवेतन	40	40
	24–वृहत् निर्माण कार्य	2000	2000
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	1000	1000
	42–अन्य व्यय	100	100
	योग–13	**4442**	**4442**
14–	14–पुराने उद्यानों की घेरबाड		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/रा0सहायता	15000	15000
	योग–14	**15000**	**15000**
15–	15–मेहल एवं अन्य फलों आंवला,आम में ढ़ाचारोपण की योजना		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/रा.सहायता	1000	1000
	योग–15	**1000**	**1000**
	महा योग (राज्य सैक्टर)	**293664**	**153280**

(रू0 पन्द्रह करोड़ बत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र)

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।